सार्वजनिक सूचना

फा.सं. 39020/01/2017-स्था.(ख)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांकः 2 दिसम्बर, 2019

भारत सरकार और इसके अधीनस्थ निकायों में समूह 'ख' अराजपत्रित पदों, समूह 'ख' के कुछ राजपत्रित पदों; समूह 'ग' और समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को चयनित करने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का आयोजन करने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी गठित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं संलग्नक में दी गई हैं।

2. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन तथा लोगों/पणधारियों, विशेष रूप से समूह 'ख' अराजपत्रित पदों, समूह 'ख' के कुछ राजपत्रित पदों; समूह 'ग' और समकक्ष पदों पर सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों से इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से एक माह (तीस दिन) की अवधि के भीतर नीचे दिए गए पते पर इस प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध है। इस प्रस्ताव पर टिप्पणियों को asestt-dopt@gov.in पर ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है जिसे "सीईटी पर टिप्पणियां" विषय लिखकर ई-मेल पर भेजें।

(कबीन्द्र जोशी)
निदेशक (स्था.-II)
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,
कमरा सं. 215-सी, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001

संलग्नक

भारत सरकार और इसके निकायों में अधीनस्थ पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा संचालित करने के लिए बहु-एजेंसी निकाय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं

1. प्रस्तावना:

1.1 वर्तमान में, सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए पदों के लिए अलग-अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। इन भर्ती परीक्षाओं में विभिन्न चरण अर्थात टियर-I, टियर-II, टियर-III तथा कौशल परीक्षा आदि शामिल होते हैं। सामान्यत:, टियर-I परीक्षा में कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन बहु-विकल्प प्रश्नों वाली परीक्षा शामिल होती है। प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ उम्मीदवार लगभग 1.25 लाख रिक्तियों हेतु विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं।

1.2 सरकार में और अधीनस्थ निकायों में समूह 'ख' अराजपत्रित पदों, समूह 'ख' के कुछ राजपत्रित पदों; समूह 'ग' और समकक्ष पदों की रिक्तियों हेतु उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका पूर्ण संचालन एक विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

2. प्रस्ताव का उद्देश्य:

प्रस्ताव का उद्देश्य इस प्रकार से है:

(क) पात्रता की समान शर्तों वाले पदों के लिए अलग-अलग एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने के कारण उम्मीदवारों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को कम करना।

(ख) इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क और यात्रा संबंधी खर्चों के संबंध में उम्मीदवारों की बचत करवाना।

(ग) प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र की स्थापना करते हुए ग्रामीण उम्मीदवारों तक पहुंच में सुधार करना।

(घ) उम्मीदवारों को उनकी पंसद की परीक्षाओं की तारीखों और परीक्षा केंद्र का चयन करने की सुविधा प्रदान करना।

(ङ) चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना।

(च) रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाना।

3. <u>प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं :</u>

(i) एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवारों का एकीकृत पंजीकरण किया जाएगा।

(ii) आरंभ में, गैर-तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक (12वीं पास) और मैट्रिक पास (10 वीं पास) वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से समान पात्रता परीक्षा का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा भर्ती की जाती है।

(iii) उम्मीदवार द्वारा सीईटी में प्राप्त किए गए अंकों को उसे तथा अलग-अलग भर्ती एजेंसियों को उपलब्ध करवाया जाएगा

(iv) उम्मीदवार द्वारा सीईटी में प्राप्त किए गए अंक परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे।

(v) प्रत्येक उम्मीदवार को अपने अंक सुधारने के लिए 2 अतिरिक्त मौके दिए जाएंगे और सभी उपलब्ध अंको में से सबसे उच्चतम अंकों को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा।

(vi) भर्ती हेतु अंतिम चयन अलग से विशिष्ट परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा जिसका संचालन संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

4. <u>राज्य सरकारों की भूमिका/भागीदारी :</u>

4.1 राज्य सरकारें/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन भी सीईटी के लिए विशेषज्ञ एजेंसी के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करते हुए लागत साझा आधार पर सीईटी के परिणामों का उपयोग कर सकते हैं। राज्य भी इस मजबूत कार्यतंत्र का लाभ राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती करने के लिए कर सकते हैं।

4.2 केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा भी उम्मीदवारों के सीईटी अंक का उपयोग एसएससी के माध्यम के अतिरिक्त की गई किसी भी भर्ती के लिए किया जा सकता है।

4.3 सरकारी भर्ती एजेंसियों द्वारा चयन किए गए उम्मीदवारों के अलावा निजी क्षेत्र द्वारा भी सीईटी अंकों का उपयोग सीईटी के लिए विशेषज्ञ एजेंसी के साथ कोई समझौता करके अपने-अपने संगठनों में भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करने के लिए किया जा सकता है।

5. <u>संगठन के लिए उपयुक्त नाम :</u>

5.1 पणधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे प्रस्तावित विशेषज्ञ एजेंसी के लिए एक उपयुक्त नाम का सुझाव दें।